



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112023-250029  
CG-DL-E-13112023-250029

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4690]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 13, 2023/कार्तिक 22, 1945

No. 4690]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 13, 2023/KARTIKA 22, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2023

का.आ. 4899(अ).—यतः, द पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी जिसे सामान्यतः पीएलए कहा जाता है तथा इसके राजनीतिक विंग, द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ), द यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र विंग द मणिपुर पीपल्स आर्मी (एमपीए), द पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पीआरईपीएके) तथा इसकी सशस्त्र विंग "द रेड आर्मी", द कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसकी सशस्त्र विंग, जिसे "रेड आर्मी" कहा जाता है, द कांगली याओल कान्वा लुप (केवाईकेएल), द कोर्डिनेशन कमेटी (कॉरकॉम) और द एलायंस फॉर सोशललिस्ट यूनिटी कांगलेइपाक (एएसयूके) (जिन्हें इसमें इसके बाद सामूहिक रूप से मैतेई उग्रवादी संगठन कहा जाएगा) का लक्ष्य और उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष द्वारा मणिपुर राज्य को भारत से पृथक करके एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करना और ऐसे अलगाव के लिए मणिपुर के स्थानीय लोगों को उकसाना है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि मैतेई उग्रवादी संगठन निम्नलिखित कार्य कर रहे हैं,-

- भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रति हानिकारक गतिविधियों में संलिप्त है;
- अपने उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र उपाय कर रहे हैं और उनमें संलिप्त हैं;
- मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस और आम नागरिकों पर हमले कर रहे हैं और उनकी हत्या कर रहे हैं;

- (iv) अपने संगठनों के लिए धन वसूली हेतु आम नागरिकों को धमकाने, जबरन वसूली और लूटपाट में संलिप्त हैं;
- (v) अपने अलगाववादी उद्देश्य पूरा करने के लिए आम जनता के मत को प्रभावित करने तथा हथियारों और प्रशिक्षण के रूप में सहायता प्राप्त करने के लिए विदेशी स्रोतों से संपर्क कर रहे हैं; और
- (vi) सुरक्षित आश्रय, प्रशिक्षण तथा गुप्त तरीके से हथियार और गोला-बारूद प्राप्त करने के उद्देश्य से पड़ोसी देशों में शिविर बनाए हुए हैं;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि मैतई उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए घातक मानी जाती हैं और यह कि वे विधिविरुद्ध संघ हैं;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि यदि मैतई उग्रवादी संगठनों पर तत्काल प्रतिबंध नहीं लगाया गया और नियंत्रण नहीं किया गया तो वे इस अवसर का प्रयोग निम्नलिखित कार्य के लिए करेंगे,-

- (i) अलगाववादी, विध्वंसक, आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने काडर को एकजुट करना;
- (ii) भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रति हानिकारक शक्तियों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करना;
- (iii) आम नागरिकों की हत्याओं और पुलिस एवं सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने में शामिल होना;
- (iv) अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से अवैध हथियारों और गोला-बारूद प्राप्त करना और उनका प्रयोग करना; और
- (v) अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियों के लिए आम लोगों से बड़ी मात्रा में धन की जबरन वसूली।

इसलिए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैतई उग्रवादी संगठनों अर्थात्, द पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) तथा इसके राजनीतिक विंग, द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ), द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र विंग द मणिपुर पीपल्स आर्मी (एमपीए), द पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पीआरईपीएके) तथा इसकी सशस्त्र विंग “द रेड आर्मी”, द कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसके सशस्त्र विंग, जिसे “द रेड आर्मी” कहा जाता है, द कांगली याओल कान्वा लुप (केवाईकेएल), द कोर्डिनेशन कमेटी (कॉरकॉम) और द एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेइपाक (एएसयूके) को, उनके सभी गुटों, स्कंधों और अग्रणी संगठनों के साथ, ‘विधिविरुद्ध संगम’ घोषित करती है;

परिस्थितियों के संबंध में, केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि मैतई उग्रवादी संगठनों अर्थात्, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) तथा इसके राजनीतिक विंग, द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ), द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र विंग द मणिपुर पीपल्स आर्मी (एमपीए), द पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पीआरईपीएके) तथा इसकी सशस्त्र विंग “द रेड आर्मी”, द कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसके सशस्त्र विंग, जिसे “द रेड आर्मी” कहा जाता है, द कांगली याओल कान्वा लुप (केवाईकेएल), द कोर्डिनेशन कमेटी (कॉरकॉम) और द एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेइपाक (एएसयूके) को, उनके सभी गुटों, स्कंधों और अग्रणी संगठनों के साथ, ‘विधिविरुद्ध संगम’ घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत किसी आदेश के अध्याधीन, 13 नवंबर 2023 से पांच वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11011/3/2023-एनई-V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th November, 2023

**S.O. 4899(E).**—Whereas, the Peoples' Liberation Army generally known as PLA, and its political wing, the Revolutionary Peoples' Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF) and its armed wing, the Manipur Peoples' Army (MPA), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), the Coordination Committee (CorCom) and the Alliance for Socialist Unity Kangleipak (ASUK), (hereinafter collectively referred to as the Meitei Extremist Organisations) have, as their professed aim, establishment of an independent nation by secession of Manipur from India through armed struggle and to incite indigenous people of Manipur for such secession;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that the Meitei Extremist Organisations have been,-

- (i) engaging in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India;
- (ii) employing and engaging in armed means to achieve their aforesaid objectives;
- (iii) attacking and killing the Security Forces, the Police and Civilians in Manipur;
- (iv) indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their Organisations;
- (v) making contacts with sources abroad for influencing public opinion and for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective; and
- (vi) maintaining camps in neighbouring countries for the purpose of sanctuaries, training and clandestine procurement of arms and ammunition;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that the activities of the Meitei Extremist Organisations are considered detrimental to the sovereignty and integrity of India and that they are unlawful associations;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that if there is no immediate curb and control of the Meitei Extremist Organisations they will take the opportunity to,-

- (i) mobilize their cadres for escalating their secessionist, subversive, terrorist and violent activities;
- (ii) propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to sovereignty and integrity of India;
- (iii) indulge in killings of civilians and targeting of the police and security force personnel;
- (iv) procure and induct illegal arms and ammunitions from across the international border; and
- (v) extort and collect huge funds from public for their unlawful activities.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Meitei Extremist Organisations, namely, the Peoples' Liberation Army (PLA) and its political wing, the Revolutionary Peoples' Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF) and its armed wing, the Manipur Peoples' Army (MPA), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), the Coordination Committee (CorCom) and the Alliance for Socialist Unity Kangleipak (ASUK) along with all their factions, wings and front organisations, as unlawful associations.

The Central Government, having regard to the circumstances, is further of opinion that it is necessary to declare the Meitei Extremist Organisations viz., the Peoples' Liberation army (PLA) and its political wing, the Revolutionary Peoples' Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF) and its armed wing the Manipur Peoples' Army (MPA), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), the Coordination Committee (CorCom) and the Alliance for Socialist Unity Kangleipak (ASUK) along with all their factions, wings and front organisations as 'unlawful associations' and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the 13<sup>th</sup> day of November, 2023, for a period of five years.

[F. No. 11011/3/2023-NE-V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.